

9 समभाग 1/32 भाग, वादी संख्या 10 लगायत 14 समभाग 1/32 भाग, वादी संख्या 15 तन्हा 1/32 भाग, वादी संख्या 16 व 17 समभाग 1/32 भाग खातेदार/पट्टेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार तिजारा को अहकाम जारी हो। पत्रावली बाद तकसीम नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक ..25/10/12..... को सरे इजलास सुनाया गया।

Kram
(खेमा राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)